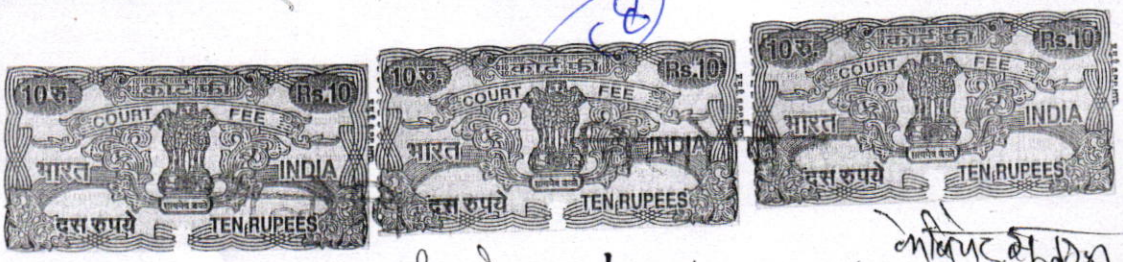

II/निगरानी/अशोकनगर/भू-रा/2017/1765

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रंकरण क्रमांक /II/ 2017 निगरानी

प्रेमबाई बेवा पत्नी नन्नूलाल साहू , आयु 87 साल , व्यवसाय कुछ नही निवासी जैन धर्मशाला के सामने मेन बाजार ईसागढ तहसील ईसागढ जिला अशोकनगर म.प्र.

..... आवेदकगण

बनाम

1. मनमोहन उर्फ अशोक पुत्र स्व. नन्नूलाल साहू आयु 61 साल व्यवसाय ग्राम सेवक निवासी मण्डी रोड बीना परगना बीना जिला सागर म.प्र.
2. हरिओम पुत्र स्व. श्री नन्नूलाल साहू आयु 47 साल व्यवसाय बिजली मैकेनिक , निवासी जैन धर्मशाला के सामने मेन बाजार, ईसागढ तहसील ईसागढ जिला अशोकनगर म.प्र.
3. श्रीमती विमलाबाई पत्नी श्री काशीराम पुत्री स्व. नन्नूलाल साहू , आय 67 साल , व्यवसाय गृहकार्य निवासी हनुमान कालोनी राजश्री होटल के सामने , भोला किराना के पास गुना परगना गुना जिला गुना म.प्र.
4. श्रीमती अंबिका पत्नी नारायण साहू पुत्री नन्नूलाल साहू आयु 54 साल , व्यवसाय शिक्षक निवासी द्विवदी के मकान में मेन बाजार , ईसागढ तहसील ईसागढ जिला अशोकनगर म.प्र.

...... अनावेदकगण,

श्री विनोद श्रीवास्तव एड. द्वारा आज दि. 15-6-2017 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 15/6/17

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक 355/ 2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 05.05.2017 के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत है :–

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, ग्राम ईदोर परगना ईसागढ में स्वर्गीय नन्नूलाल के स्वामित्व स्वत्व की कुल किता 21 कुल रकवा 34.047 हे. भूमि स्थित थी। उक्त भूमि के संबंध में स्वर्गीय नन्नूलाल ने दिनांक 14.08.1991 कोएक वसीयनामा आवेदिका और अनावेदकगण क्रमांक 1 , 2 के नाम संपादित की गई थी। उनकी मृत्यु के बाद वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण कर परगना इसागढ के तहसीलदार द्वारा पंजी क्रमांक 33 दिनांक 06.04. 94 को आवेदक व सभी अनावेदकगण के नाम वारिसान के आधार पर गलत तरीके से नामान्तरण कर दिया गया । जिसकी आवेदिका को कोई जानकारी नही हुई।

2. यहकि, आवेदिका द्वारा दिनांक 18.03.2013 को हल्का पटवारी से मिलने पर प्राप्त हुई कि इस भूमि का नामान्तरण हो चुका है। इसके बाद आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर दिनांक 21.03.2013 को न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ईसागढ के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। साथ मे धारा 5 अवधि विधान का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । जिसका प्रकरण क्रमांक 188/2013–14 अपील था। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदिका की अपील धारा 5 अवधि विधान का आवेदन निरस्त कर अपील भी दिनाक 04.06.2015 को निरस्त कर दी गई ।

3. यहकि, अनावेदक क्रमांक 3 के द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की भूमि के संबंध में बंटवारा कराये जाने बाबत न्यायालय तहसीलदार ईसागढ जिला

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो / निग0 / अशोकनगर / भू–रा. / 2017 / 1765

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–7–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव उपस्थित। अनावेदक की ओर से केवियेटकर्ता श्री श्रीकृष्ण शर्मा उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 355 / अपील / 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 5.5.2017 के विरूद्व इस न्यायालय में म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि ग्राम ईदोर परगना ईसागढ में स्वर्गीय नन्नूलाल के स्वामित्व स्वत्व की कुल किता 21 रकवा 34.047 है0 भूमि स्थित थी। उक्त भूमि के संबंध में स्वर्गीय नन्नूलाल ने दिनांक 14.8.91 को एक वसीयतनामा आवेदिका एवं अनावेदकगण कमांक 1, 2 के नाम संपादित की गई थी। उनकी मृत्यु के बाद वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण कर परगना ईसागढ के तहसीलदार द्वारा पंजी कमांक 33 दिनांक 6.4.94 को आवेदक व सभी अनावेदकगणों के नाम वारिसानों के आधार पर गलत तरीके से नामांतरण कर दिया गया। जिसकी जानकारी आवेदिका को नहीं हुई। उनका तर्क है कि आवेदिका दिनांक 18.3.13 को हल्का पटवारी से मिलने पर जानकारी प्राप्त हुई कि इस भूमि का नामांतरण हो चुका है इसके बाद आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर दिनांक 21.3.13 को अनुविभागीय अधिकारी ईसागढ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिसके साथ धारा–5 का आवेदन भी प्रस्तुत	

किया गया था जो दिनांक 4.6.15 को धारा–5 अवधि विधान का आवेदन निरस्त कर अपील निरस्त की गई। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि बिना सूचना के विचारण न्यायालय द्वारा नामांतरण किया गया है वह अवैध होने के कारण स्थिर रखे जाने योग्य नहीं था ऐसे नामांतरण आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

3– अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि 19 वर्ष पश्चात अनुविभागीय अधिकारी ईसागढ के द्वारा अपील निरस्त की गई है जो उचित है तथा अपर आयुक्त ग्वालियर द्वारा भी अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा गया है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी अग्राह करने का अनुरोध किया गया है।

3– मेरे द्वारा आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका द्वारा 19 वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत की है जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलंब मांफी का आवेदन सही ही निरस्त किया गया है। आवेदन में कोई पर्याप्त ठोस एवं समाधानकारक कारण भी नहीं दर्शाया गया जिसके आधार पर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अपर आयुक्त ग्वालियर द्वारा स्थिर रखा गया है । अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक

355/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 5.5.2017 को कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है तथा आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में जमा किया जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य